



क्रमांक:निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक/2021/4514-18

दिनांक: 8/10/2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राध्यापक, विद्यालय (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2018 एवं 2020 में चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त अभिस्तावना के आधार पर निदेशालय द्वारा जारी निम्नलिखित आदेशों से नियुक्तियां प्रदान कर नियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 06.10.2021 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था-

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक	आदेश दिनांक
1	प्राध्यापक-हिन्दी	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 31984-93	22.09.2021
2	प्राध्यापक-अंग्रेजी	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 31994-32005	22.09.2021
3	प्राध्यापक-राजनीति विज्ञान	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32006-20	22.09.2021
4	प्राध्यापक-ज्योतिष	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32021-33	22.09.2021
5	प्राध्यापक-यजुर्वेद	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32034-43	22.09.2021
6	प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32044-52	22.09.2021
7	प्राध्यापक-गणित	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32053-61	22.09.2021
8	प्राध्यापक-धर्मशास्त्र	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32062-70	22.09.2021
9	प्राध्यापक-जैनदर्शन	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32071-79	22.09.2021
10	प्राध्यापक-न्यायदर्शन	निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(2)/प्राध्यापक / 2021 / 32080-88	22.09.2021

उपर्युक्त नियुक्ति आदेशों द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा नियत तिथि 06.10.2021 तक कार्यारम्भ नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुये कार्यग्रहण अवधि दिनांक 16.10.2021 तक बढ़ायी जाती है। नियत दिनांक 16.10.2021 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मूल नियुक्ति आदेश में वर्णित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4514-18
8/10/2021

8/10/2021
(डॉ० दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
2. सम्बन्धित संकुल प्रभारी।
3. संस्थापन शाखा-2(ख)- निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
5. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर